"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2012— माघ 28, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गिरधर दीवान आत्मज स्व. हेमधर दीवान, उम्र 50 साल, निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क 1, सेक्टर-8, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में दूरभाष केन्द्र में चार्जमेन कम सीनियर टेक्निशियन के पद पर कार्यरत हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम गिरधर लाल दर्ज है, को परिवर्तित कर अपना नाम गिरधर दीवान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे गिरधर दीवान आत्मज स्व. हेमधर दीवान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
गिरधर लाल आत्मज-स्व. हेमधर दीवान निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क 1 सेक्टर-8, भिलाईनगर तहसील व ज़िला-दुर्ग (छ. ग.)	गिरधर दीवान आत्मज-स्व. हेमधर दीवान निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क 1 सेक्टर-8, भिलाईनगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खीकू सिंह निषाद आ. गेंद सिंह निषाद, उम्र 24 वर्ष, निवासी-धमतरी चौक, गुण्डरदेही, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपना नाम खीकू सिंह निषाद जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, को परिवर्तित कर अपना नया नाम अवतार सिंह निषाद (Avtar Singh Nishad) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे अवतार सिंह निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
खीकू सिंह निषाद आ.-गेंद सिंह निषाद निवासी-धमतरी चौक, गुण्डरदेही तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अवतार सिंह निषाद आ.-गेंद सिंह निषाद निवासी-धमतरी चौक, गुण्डरदेही तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख नूरूद्दीन आत्मज शेख निजामुद्दीन, उम्र 47 वर्ष, निवासी-मकान नं. 17 ए, सड़क नं.-32, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र जिसकी जन्मतिथि 29-12-1998 है तथा जन्म प्रमाण-पत्र एवं स्कूल रिकार्ड में उसका नाम शेख नवाजुद्दीन दर्ज है, को परिवर्तित कर उसका नाम शेख नवाज रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को शेख नवाज आ. शेख नूरूद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शेख नवाजुद्दीन आ.-शेख नूरूद्दीन निवासी-मकान नं. 17 ए, सड़क नं-32 सेक्टर -4, भिलाई, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	शेख नवाज आ.-शेख नूरूद्दीन निवासी-मकान नं. 17 ए, सड़क नं-32 सेक्टर -4, भिलाई, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख नूरूद्दीन आत्मज शेख निजामुद्दीन, उम्र 47 वर्ष, निवासी-मकान नं. 17 ए, सड़क नं.-32, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र जिसकी जन्मतिथि 4-3-1997 है तथा जन्म प्रमाण-पत्र एवं स्कूल रिकार्ड में उसका नाम शेख नदीमुद्दीन दर्ज है, को परिवर्तित कर उसका नाम शेख नदीम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को शेख नदीम आ. शेख नूरूद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शेख नदीमुद्दीन आ.-शेख नूरूद्दीन निवासी-मकान नं. 17 ए, सड़क नं-32 सेक्टर -4, भिलाई, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	शेख नदीम आ.-शेख नूरूद्दीन निवासी-मकान नं. 17 ए, सड़क नं-32 सेक्टर -4, भिलाई, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2012

अल्पकालीन निविदा

क्रमांक . जी. बी. 4 क्र. शा./(3)/मु. हे. का./2011-12/173.— शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर/राजनांदगांव के उपयोग हेतु वर्ष 2011-12 में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कागज फोटोकापीयर 75 जी. एस. एम., आर्ट पेपर 250 जी. एस. एम., आर्ट पेपर 220 जी. एस. एम., आर्ट पेपर 110 जी. एस. एम. क्रय हेतु व्यवसाइयों से दरें आमंत्रित की जाती है. दर निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत की जानी है, जिसमें टेंडर की शर्तों का विवरण भी दिया गया है. निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4-2-12 से 24-2-12 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर राशि रुपये 500.00 (रुपये पांच सौ) नगद तथा डाक से 600.00 मात्र जमा करने के उपरांत प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25-2-2012 समय 3.00 बजे तक होगी तथा निविदा उसी दिवस 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी. विलंब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

संजय अलंग,
संचालक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
छ. ग. रायपुर.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभाग अम्बिकापुर, जिला -सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

प्रपत्र-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

क्रमांक /227/वाचक-1/2011.— यह कि आचार्य अमर बाजपेयी, एस-3, एफ-24 वसुन्धरा विहार कॉलोनी, गोधनपुर अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16-12-2011 को विचार के लिये जायेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसके लिए गठित की जाती है.

अत: मैं, तीर्थराज अग्रवाल, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में 12-12-2011 को उक्त अधिनिम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक पक्ष के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	काशी विश्वनाथ सेवा आश्रम, एस-3-एफ-24, वसुन्धरा विहार, गोधनपुर, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	रुपये दो हजार एसबीआई अम्बिकापुर में जमा.
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

तीर्थराज अग्रवाल,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2012/67.— इस कार्यालय का आदेश क्र./157 दिनांक 26-02-2010 के द्वारा फल एवं साग सब्जी उत्पादक वितरण एवं परिवहन सहकारी समिति मर्या., भाटपाल, विकासखण्ड बस्तर, जिला बस्तर, जगदलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/476 दिनांक 28-03-2003 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2012/68.— इस कार्यालय का आदेश क्र./157 दिनांक 26-02-2010 के द्वारा प्राथमिक पारम्परिक आदिवासी हस्तशिल्प सहकारी समिति मर्या., अलवाही, विकासखण्ड बस्तर, जिला बस्तर, जगदलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/476 दिनांक 28-03-2003 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. पी. सिंह, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2012/69.— इस कार्यालय का आदेश क्र./157 दिनांक 26-02-2010 के द्वारा प्राथमिक रेत खदान सहकारी समिति मर्या., चपका, विकासखण्ड बस्तर, जिला बस्तर, जगदलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/420 दिनांक 07-03-1998 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार , स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2012/70.— इस कार्यालय का आदेश क्र./157 दिनांक 26-02-2010 के द्वारा प्राथमिक आदर्श आदिवासी गिट्टी एवं रेत खदान सहकारी समिति मर्या., बालेंगा, विकासखण्ड बस्तर, जिला बस्तर, जगदलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/294 दिनांक 09-12-1994 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार , स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2012/71.— इस कार्यालय का आदेश क्र./157 दिनांक 26-02-2010 के द्वारा प्राथमिक रेत खदान सहकारी समिति मर्या., दुबे उमरगांव, विकासखण्ड बस्तर, जिला बस्तर, जगदलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/403 दिनांक 03-04-1997 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार , स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2012/72.— इस कार्यालय का आदेश क्र./157 दिनांक 26-02-2010 के द्वारा प्राथमिक रस्सी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर, जगदलपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/156 दिनांक 28-11-1999 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एस. नेताम, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-1-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
प्र. उप-पंजीयक

कार्यालय, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक, मत्स्योद्योग सहकारी मर्या., ठेंगाभाठ पंजीयन क्रमांक 2487, जिला-दुर्ग (छं. ग.)

धमधा, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक/परिसमापन/2012/क्यू/प्रेसविज्ञप्ति.— छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (2) के तहत् परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., ठेंगाभाठ जिला दुर्ग (छ. ग.) पंजीयन क्रमांक 2487 के दावेदार/लेनदार अपने दवे मय लिखित में प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे प्राप्त नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौपेंगे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

शोभा गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.